बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग।

स्वीकृत्यादेश सं0–5 / श्रम स्था0(2)03 / 2016– पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
वीरचन्द पटल मार्ग, पटना।

विषयः– श्री राम प्रवेश राम, सेवा निवृत्त सहायक, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना को अनिवार्य ग्रुप बीमा योजनांतर्गत संचित राशि सूद सहित ₹ 204641 / – (दो लाख चार हजार छः सौ एकतालीस रुपये) मात्र के भुगतान की स्वीकृति।

आदेशः– श्री राम प्रवेश राम, सहायक, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना के दिनांक 31.12.2015 (अप0) से सेवा निवृत्ति के फलस्वरूप वित्त विभागीय संकल्प सं0–4185 दिनांक 13.7.1985 एवं बिहार सरकार कर्मचारी ग्रुप बीमा योजना 1997 की अधिसूचना सं0–2757 दिनांक 27.4.1998 के अनुसार पुरानी योजना में माह अक्तूबर 1979 से मार्च 1982 तक संचित राशि ₹ 13320 / – एवं उसकी सूद की राशि दिनांक 31.12.2015 तक ₹ 178050 / –, यानि कुल संचित राशि ₹ 191370 / – (एक लाख एकानबे हजार तीन सौ सत्तर रुपये) तथा नई ग्रुप बीमा योजना में माह अप्रैल 1998 से दिसम्बर 2015 तक की संचित राशि ₹ 6615 / – एवं उसकी सूद की राशि ₹ 6656 / –, यानि कुल संचित राशि ₹ 13271 / – (तेरह हजार दो सौ एकहत्तर रुपये) मात्र, नई एवं पुरानी योजना सहित कुल संचित रशि सूद के साथ ₹ 204641 / – (दो लाख चार हजार छः सौ एकतालीस रुपये) मात्र, गणना विवरणी के साथ भुगतान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. श्री राम की सेवा अवधि में बिहार राज्य सरकारी कर्मचारी अनिवार्य ग्रुप बीमा योजना मद में उनके द्वारा किये गये अंशदान तथा अर्जित ब्याज की राशि निम्न प्रकार है :–

(क) अंशदान प्रारम्भ करने की तिथि –	अक्तूबर 1979
(ख) सेवा निवृत्ति की तिथि –	31.12.2015
(ग) अंशदान की मूल राशि –	₹ 19935 / –
(घ) अर्जित ब्याज की कुल राशि–	₹ 184706 / –
(ङ.) कुल भुगतेय राशि –	₹ 204641 / –

(दो लाख चार हजार छः सौ एकतालीस रुपये मात्र)।

3. स्वीकृत राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायगी एवं इस राशि का भुगतान श्री राम प्रवेश राम, सेवा निवृत्त सहायक, श्रम संसाधन विभाग (सरकार पक्ष), बिहार, पटना को किया जायगा।

4. इस राशि का व्यय, व्यय शीर्ष "8011–बीमा और पेंशन निधियॉं (व्यय)–105–रज्य सरकार बीमा निधि–0001–राज्य बीमा निधि–विपत्र कोड–एल801100105001 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवंटित राशि से विकलनीय होगा।

5. प्रस्ताव में प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–5 / श्रम स्था0(2)03 / 2016– पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि गणना विवरणी की छाया प्रति के साथ वित्त विभाग (ग्रुप बीमा शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह0/–
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–5 / श्रम स्था0(2)03 / 2016–   पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि गणना विवरणी की छाया प्रति के साथ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0–यथोक्त।

ह0 / –
(संजय कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक–5 / श्रम स्था0(2)03 / 2016– 10 पटना, दिनांक–17/5/2017

प्रतिलिपि उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी / लेखा शाखा, सरकार पक्ष (दो प्रतियों में गणना विवरणी की छाया प्रति सहित) / श्री राम प्रवेश राम, सेवा निवृत्त सहायक, ग्राम–लक्ष्मीपुर, पो0–रैली, थाना–पण्डारक, जिला–पटना एवं आई0 टी0 प्रबंधक, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय कुमार सिंह) 16/5/17
सरकार के अपर सचिव।